

Court of ACJM, Biraul

Biraul P.S.- 175/18

G.R.- 479/18

22.11..19

सूचक की हाजरी है।

प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने आरोप-पत्र एवं वाद दैनिकी भा0द0वि0 की धारा 323, 325, 504, 34 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त शंभू महतो एवं दो अन्य जिनका नाम आरोप-पत्र की कंडिका 11(i) में अंकित है, के विरुद्ध समर्पित किया गया है। जबकि अभियुक्त 1. लुखिया देवी 2. ललिता देवी को अनुत्प्रेषित दिखाया गया, जिसे अस्वीकार किया जाता है।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र, वाद-दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वाद-दैनिकी की कंडिका 2, 5, 6, 8, 9 के अवलोकनोपरांत प्राथमिकी के सभी अभियुक्त 1. शंभू महतो 2. रामनाथ महतो 3. राम सागर महतो 4. लुखिया देवी 5. ललिता देवी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 325, 504, 34 के अन्तर्गत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है।

तदनुसार प्राथमिकी अभियुक्त **शंभू महतो एवं चार अन्य** के विरुद्ध **भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 325, 504, 34** के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

वाद को विधिवत विचारण एवं निस्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करे।

दिनांक 13.01.2020 वास्ते उपस्थिति।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी